RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2022 वर्ष 04 अंक 156 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

RPG हमले का मुख्य दोषी चडत सिंह मुम्बई से गिरफ्तार

मुंबई, मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध चलाई जा रही जंग में पंजाब पुलिस की काउन्टर इंटेलिजेंस ने केंद्रीय एजेंसी और ए.टी.एस. महाराष्ट्र के साथ साझे ऑपरेशन में रॉकेट प्रोपैल्ड ग्रेनेड (आर. पी. जी.) हमले के मुख्य दोषी चड़त सिंह को गुरुवार सुबह मुम्बई से गिरफ्तार करने के बाद एक और बड़ी सफलता हासिल की. यह आरपीजी हमला 9 मई, 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस हैडक्वाटर पर लगभग 19.45 बजे किया गया था. पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किया गया मुलजिम इस हमले का मुख्य संचालक है और कनाडा स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लंडा का सहयोगी है. उन्होंने कहा कि मुलजिम चड़त ने लंडा की मदद से राज्य भर में एक मजबूत अपराध नेटवर्क बनाया हुआ था और आरपीजी हमले को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को लॉजिस्टिक सहायता और पनाह प्रदान कर रहा था. चड़त ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा के द्वारा पाकिस्तान आईएसआई के सक्रिय समर्थन के साथ सरहद पार से एक आरपीजी, एके-47 और अन्य हथियार भी मंगवाए थे.

इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आई.जी.पी.) हैडक्वाटर सुखचैन सिंह गिल ने प्रैस कॉनफ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि मुलजिम चड़त सिंह की गिरफ्तारी के साथ पंजाब पुलिस इस मामले में अब तक आठ मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है, जब कि हमले में शामिल एक और नाबालिग मुलजिम की दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में की गई गिरफ्तारी से इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 9 हो गई है. इससे पहले पंजाब पुलिस द्वारा निशान सिंह, जगदीप सिंह, बलजिन्दर सिंह रैंबो, कंवरजीत सिंह बाठ, अनंतदीप सिंह सोनू, बलजीत कौर सुक्खी, लवप्रीत सिंह विक्की को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें इस मामले के आखिरी दोषी दीपक कुमार निवासी झज्जर, हरियाणा को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, जिसने आरपीजी

लड़की ने दर्ज कराई दुष्कर्म की शिकायत, नौसेना के जवान पर मामला दर्ज

मुंबई, कफ परेड पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि किशोरी लड़की ने मंगलवार को अपनी शिकायत दर्ज कराई। लड़की एक निजी कॉलेज में पढ़ती है और दक्षिण मुंबई में नौसेना नगर में आईएनएचएस अश्विनी के पास एक छात्रावास में रहती है।कॉलेज छात्रा की शिकायत के बाद नौसेना के एक जवान पर मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि कॉलेज की अपनी 19 वर्षीय सहेली की शिकायत पर नौसेना के एक इंजीनियर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।

कफ परेड पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि किशोरी लड़की ने मंगलवार को अपनी शिकायत दर्ज कराई। लड़की एक निजी कॉलेज में पढ़ती है और दक्षिण मुंबई में नौसेना नगर में आईएनएचएस अश्विनी के पास एक छात्रावास में रहती है।

'सर तन से जुदा' वाले नारे की होगी जांच

गृहमंत्रालय ने दिए आदेश

अमरावतीः महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कुछ दिन पहले लगाए गए गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा वाले नारे लगाए गए थे। जिसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब इस मामले में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने संजीदगी दिखाते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र का अमरावती जिला बीते कुछ महीनों से किसी न किसी वजह से टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां बना हुआ हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर निकाली गई यात्रा के दौरान 'गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाए गए थे। दिनदहाड़े इस तरह के आपत्तिजनक और भड़काऊ नारों के बाद स्थानीय पुलिस ने 8-10 अनजान लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।

17 करोड़ की विदेशी ब्रांड सिगरेट का कंटेनर जब्त

मुंबई, खुफिया निदेशालय ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से विदेशी ब्रांड सिगरेट का कंटेनर जब्त किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीआरआई ने इसकी जानकारी दी. कंटेनर लोड विदेशी सिगरेट ब्रांड मैनचेस्टर का है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कार्टन में करीब 10 हजार सिगरेट पैक की गई थीं. सीमा शुल्क कानून के तहत 17 करोड़ रुपये की कुल 85,50,000 विदेशी ब्रांडेड सिगरेट बरामद की गईं और जब्त की गईं. अधिकारी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है.

डीआरआई अहमदाबाद ने इस वित्तीय वर्ष में सिगरेट/ई-सिगरेट की यह चौथी बड़ी जब्ती की है. इसे मिलाकर हुई बरामदगी की कुल कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. इसी साल अप्रैल में भी 17 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी ब्रांड की सिगरेट जब्त की गई थीं. वहीं, इसी सितंबर में 68 करोड़ रुपये कीमत की ई-सिगरेट की दो जब्ती की गई थीं. डीआरई देश में सिगरेट की तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन चला रहा है, जिसके चलते ये जब्ती की गईं.बता दें कि डीआरआई मुंबई ने हाल में तस्करी कर भारत लाई गई भारी मात्रा में कोकीन को जब्त किया था. एक कंटेनर से 502 करोड़ रुपये कीमत का 50.2 किलोग्राम कोकीन जब्त किया गया था.

अश्लील हरकत करने के आरोप में टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई, एक टैक्सी ड्राइवर को स्कूल के पास बच्चियों के सामने अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर स्कूल की बच्चियों की तरफ अश्लील हावभाव करता था. इसको लेकर स्थानीय पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. टैक्सी ड्राइवर पिछले कई दिनों से ऐसी हरकतें अपने आस-पास के स्कूलों के नजदीक करता था.मुंबई की कुलाबा पुलिस ने 35 साल के सिकंदर खान नाम के टैक्सी ड्राइवर को तीन बच्चियों के साथ बदतमीजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

कुलाबा पुलिस के सूत्रों ने बताया की गिरफ्तार आरोपी रोजाना कुलाबा इलाके में बच्चियों के स्कूल के सामने रोज अपनी टैक्सी खड़ा करता था. आरोप है कि हर दिन बच्चियों को देखकर वह गंदी हरकतें करता था, इसके साथ ही बच्चियों का पीछा हर दिन करता था.टैक्सी ड्राइवर की गंदी हरकतों की बात की जानकारी स्कूल की ही 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों ने अपनी टीचर को दी. इसके बाद स्कूल की टीचर ने इस बात के बारे में पता लगाने के लिए खुद स्कूल के बाहर जाकर पुष्टि की. इसके बाद महिला टीचर ने इस संबंध में कुलाबा पुलिस को जानकारी दी.कुलाबा पुलिस ने टैक्सी नंबर की मदद से आरोपी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला.

संपादकीय / लेख

तोल-मोल के बोल

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

हाल के वर्षों में राजनीतिक-धार्मिक मंचों से ऐसी अप्रिय बयानबाजी के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश की आकांक्षाओं और मिजाज के अनुरूप कतई नहीं थे। अभद्र व अप्रिय बयानबाजी के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत भी गाहे-बगाहे सख्त टिप्पणी करती रही है। धार्मिक संगठनों के ठेकेदार तो इस तरह के कृत्यों में शामिल रहे ही, लेकिन जब जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस तरह का अनर्गल प्रलाप करें तो स्थिति विकट हो जाती है। कुछ नेताओं को लगता है कि संप्रदाय विशेष के खिलाफ की गई उनकी अतिरंजित टिप्पणियां उनका जनाधार बढ़ाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं वे सामाजिक समरसता को पलीता लगा रहे होते हैं। एक वर्ग को आशंकित कर रहे होते हैं। हकीकत में जब कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वह हर धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, उसका काम बिना किसी भेदभाव-पक्षपात के सर्वांगीण विकास करना होता है। हाल के दिनों में दिल्ली में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में आक्रामक व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले दिल्ली के एक सांसद व उत्तर प्रदेश के एक विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके भड़काऊ बयानों वाला वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई है। लेकिन विडंबना यह है कि उनके पार्टी नेतृत्व की तरफ से इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। निस्संदेह, कानून का काम हर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होता है, जो सामाजिक अशांति का वाहक है। अब चाहे वह सत्तारूढ़ दल का निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही क्यों न हो। कार्रवाई करने में किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ताकि किसी नेता को यह भ्रम न रहे कि ऐसे भड़कीले बयानों से वह अपना जनाधार बढ़ा सकता है। बहरहाल, दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्राथमिकी का दर्ज होना यह संदेश दे गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका की सुनवाई करते वक्त कहा था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग से पूरा माहौल खराब हो रहा है। यही नहीं, कोर्ट ने उत्तराखंड व दिल्ली सरकार द्वारा भड़काऊ बयान देने वाले वक्ताओं के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांगा था। दरअसल, पिछले साल आयोजित धर्म संसद के दौरान ऐसे जहरीले बयान सामने आये थे कि उसकी प्रतिक्रिया देश में ही नहीं, विदेशों से भी आई थी। अदालत का कहना था कि आक्रामक व अभद्र भाषा किसी घातक हथियार की तरह होती है। तब अदालत ने मूकदर्शक बने रहने पर केंद्र सरकार की भी खिंचाई की थी। साथ ही टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों पर चिंता जताते हुए कहा था कि ये अब अभद्र भाषा के मंच बन गये हैं। जिनको नियमन के दायरे में लाने की आवश्यकता है। निस्संदेह, इस तरह के भड़कीले बयान जहां एक वर्ग को उत्तेजित करते हैं, वहीं शांति व कानून व्यवस्था के लिये खतरा पैदा करते हैं। जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी दाग लगाते हैं। कुछ समय पहले धर्म विशेष के आराध्य को लेकर दिये गये अनर्गल बयान की तीखी प्रतिक्रिया देश के अलावा तमाम इस्लामिक देशों में हुई थी। जिसके चलते केंद्र सरकार खुद असहज स्थिति में फंस गई थी। तब बढ़ते दबाव के बीच बयान देने वाली सत्तारूढ़ दल की नेत्री को पार्टी से निकाल दिया था। निस्संदेह, इस विकट स्थिति में देश के राजनीतिक व धार्मिक नेतृत्व का दायित्व बनता है कि कट्टरपंथियों और अराजक तत्वों को नियंत्रित करे। यदि वे लक्ष्मण रेखा लांघते नजर आते हैं तो उन्हें पार्टी व संगठन से बाहर का रास्ता दिखायें। निस्संदेह, शीर्ष नेतृत्व पर सकारात्मक बयानबाजी और निचले स्तर पर जहरीली बातें साथ-साथ नहीं चल सकती। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ऐसी बयानबाजी सिर्फ बहुसंख्यक समाज के संगठनों की तरफ से होती है। पिछले दिनों पीएफआई के कार्यक्रम में बहुसंख्यक व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ घातक बयानबाजी की गई थी। नफरत फैलाने की इन कोशिशों के बाद ही इस संगठन के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई हुई और इसे प्रतिबंधित किया गया। निस्संदेह हर ऐसी घटना के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

ऐसी हरकत से पैदा होता है आतंक...मुंबई में छात्रा का दुप्पटा खींचने पर युवक को 3 साल की जेल

मुंबईः मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 20 वर्षीय युवक को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। युवक ने एक स्कूल जाने वाली लड़की का दुपट्टा खींचा था। युवक को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना से पीड़ितों और उनके परिवारों में आतंक पैदा होता है। युवक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों का दोषी पाया गया। पोस्को अधिनियम विशेष न्यायाधीश प्रिया बांकर ने युवक को सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और जब यह घटना 2017 में उपनगरीय मुंबई में हुई थी तब वह 15 साल की थी।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि हुई है। घटना का पीड़ित लड़की पर, उसके परिवार के सदस्यों पर और यहां तक कि समाज पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस धारणा के तहत हैं कि घर और आस-पास के क्षेत्र बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं और यह समाज में एक खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है। जज ने कहा, 'निश्चित रूप से इस तरह की घटना लोगों, पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के मन में आतंक पैदा करती है और लंबे समय तक निशान छोड़ जाती है।'

आरोपी उसके घर के सामने खड़ा था। जब पीड़िता के परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी का पीछा किया, लेकिन इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की। घटना वाले दिन पीड़िता पास की दुकान से घरेलू सामान खरीदने जा रही थी तभी आरोपी ने उसका दुपट्टा खींच लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। युवक ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि वह उसके घर में घुसकर उसके पिता को पीटेगा। ऐसे में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ माहिम थाने में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता, उसके पिता और मामले के जांच अधिकारी की गवाही पर भरोसा किया। आरोपी ने यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि उसके और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र को देखते हुए यह स्वीकार्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि जिरह के दौरान पीड़िता और उसके पिता ने इस आशय के सुझावों को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद कहा, 'आरोपी मौके पर मौजूद था और उसने नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ यौन इरादे से अपराध किया और पीड़ित लड़की के साथ शारीरिक संपर्क किया और इस तरह यौन उत्पीड़न का अपराध किया।'

१६ अक्टूबर से १४ नवंबर तक मुंबई शहर में जलती लालटेन उड़ाने पर पाबंदी

मुंबई, आगामी त्योहारों को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पाबंदी लगाई है। इसके अलावा दीपावली, दशहरा के मौके पर आसमान में लालटेन उड़ाने पर मनाई आदेश जारी किया गया है। डीसीपी ऑपरेशन संजय लटकर के मुताबिक १६ अक्टूबर से लेकर १४ नवंबर तक मुंबई शहर में जलती लालटेन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है।

इस आदेश को जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाकर मुंबई में किसी तरह का अनुचित वारदात कर सकते हैं इसलिए शहर में लालटेन बेचना उसे रखना और उसे उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने शहर में ५ या उससे अधिक लोगों (बिना उचित कारण) के एक साथ जमा होने पर भी पाबंदी लगाई है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक मुंबई में शांति और सार्वजनिक रूप से कानूनी व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इसके अलावा 'मून लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली है कि शहर में असामाजिक तत्वों के लोग शहर में कथित रूप से दंगा और सार्वजनिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से शहर में पांच या उससे अधिक लोगों को जमा होने पर पाबंदी लगाई जा रही है।

मुंबई में बीती रात बड़ा हादसा, कार एक्सीडेंट में 2 की मौत, 5 जख्मी

मुंबई के विक्रोली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ. तेज रफ़्तार से जा रही एक कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतना जोरदार था कि कार केपचखड़े उड़ गए. मुंबई पुलिस के अनुसार हादसे में 2 लोगों गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद मौत हो गई. वहीं पांच लोग जख्मी हुए हैं. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

5.20 करोड़ की 'बेल्ट' पहनकर दुबई से मुंबई पहुंचा शख्स, जानें चौंकाने वाली हकीकत

मुंबई. स्मग्लर तस्करी के लिए हैरान करने वाला तरीका अपना रहे हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सामने आई है. कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आरोपी तस्कर के पास से 5.20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद किया है. बताया जाता है कि आरोपी कमर में लगाने वाले एक विशेष बेल्ट में सोने को छुपाकर ला रहा था. दूसरी तरफ, खुफिया सूचना मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम पहले से ही चौकन्नी थी. इनपुट के आधार पर टीम ने छानबीन और तलाशी शुरू की थी. इसी दौरान आरोपी के पास से 5 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य का सोना बरामद किया गया. सोने की तस्करी के तरीके को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए.

जानकारी के अनुसार, कस्टम डिपार्टमेंट को इंटेलिजेंट से सोने की बड़ी खेप मुंबई एयरपोर्ट पर आने की खुफिया सूचना मिली थी. इसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट की टीम विशेष तौर से तैनात कर दी गई. दुबई से मुंबई आने वाली फ्लाइट के लैंड करते ही अधिकारी छानबीन में जुट गए. सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें टीम को बड़ी कामयाबी मिली. कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने एक यात्री के पास से तकरीबन सवा पांच करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद किया. तस्करी का तरीका काफी हैरान करने वाला था. आरोपी विशेष प्रकार की बेल्ट में सोने को छुपा रखा था. हालांकि, वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका.

ड्रग्स का सेवन करनेवालों पर नकेल कसने के लिए विशेष मुहिम

मीरा-भायंदर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा ड्रग्स के कारोबार करने तथा ड्रग्स का सेवन करनेवालों पर नकेल कसने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई। आयुक्तालय अंतर्गत १६ पुलिस थानों और एंटी-नारकोटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच की टीमों ने एक विशेष अभियान के तहत नश्तर चलाया। इससे १ जनवरी से ३० सितंबर, २०२२ के बीच ११७ ड्रग डीलरों और ५४८ ड्रग सेवनकताओं की शामत आ गई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष यानी २०२१ में नशीला पदार्थ बेचनेवाले १०५ और इसका सेवन करनेवाले ४०८ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

वर्ष २०२१ और २०२२ में की गई कार्रवाइयों को देखने से पता चलता है कि चालू वर्ष में ड्रग्स की बिक्री और खपत पर की गई कार्रवाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ महीनों से आयुक्तालय के सीमांतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की खपत और बिक्री बढ़ रही है। शहर के विभिन्न थानों की सीमा के अंदर नशीले पदार्थों की बिक्री और खपत को रोकने के लिए पुलिस विभाग को सतर्क रखने और उनके खिलाफ नियमित कार्रवाई करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। पुलिस की टीमें बंद पड़ी पैष्ठक्ट्रियों, गोदाम, कारखाने आदि का नियमित निरीक्षण कर रही हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों से अपने शहर में नशीले पदार्थ नहीं लाए जाएं, इस पर पुलिस को विशेष निगरानी रखने के निर्देश पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने दिए हैं।

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों की बिक्री और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश आयुक्त दाते ने दिए हैं। इसके लिए कुछ दिन पूर्व पुलिस आयुक्त दाते की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नशामुक्ति कार्यकारिणी समिति की ऑनलाइन बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से खाद्य एवं औषध प्रशासन, सीमा शुल्क विभाग, राज्य आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिल थे। सभी के संयुक्त प्रयासों से शहर में एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ऑपरेशन को सफलता मिल रही है।

मिनरल वाटर के नाम पर बिक रहा था खराब पानी

दिवाली से पहले BIS ने की फ्रेंचाइजी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई

मुंबई : त्योहारों के सीजन में मिलावटी वस्तुएं बाजार में खुलेआम बिकती हैं. खाने से लेकर पीने के पदार्थ में निम्न क्वालिटी की चीजें जमकर बेची जाती हैं. गुणवत्ता की जांच करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ऐसी कंपनी और लोगों के खिलाफ त्योहार से पहले एक्शन लेने को लेकर कमर कस लिया है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मुंबई के माहूल इलाके में एक वॉटर प्लांट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

गुणवत्ता की जांच करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अधिकारियों ने बिसलेरी की फ्रेंचाइजी कंपनी 'प्रतिमा फूड एंड बेवरेजेस' के प्लांट पर एक्शन लिया है.

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की कार्रवाई

हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इस प्लांट से पानी के कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे, जिसके टेस्ट में उसे पीने योग्य नहीं पाया गया. इसके बाद प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इक्र ने स्टॉप वर्क के ऑर्डर दिए थे. बाद में अधिकारियों को पता चला कि इस प्रतिबंध के बावजूद प्लांट के अंदर रात के अंधेरे में कथित गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था.

बिसलेरी के असली जार में नकली पानी

इक्र से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस खुलासे के बाद इन प्रोडक्ट्स को लेकर जीएसटी घोटाले का भी शक है, जिसकी जांच जारी है. प्राथमिक जांच में एजेंसी को ये भी पता चला है कि बाजार में किसी को शक न हो इसलिए, ये फ्रेंचाइजी कंपनी बिसलेरी के असली जार में ही पानी पैकेजिंग कर बेच रही थी. बिसलेरी कंपनी के भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का शक जताया जा रहा है.

ब्रांडेड कंपनी की आड़ में ग्राहकों से धोखा

त्योहारों के मौके पर मिलावटी तेल, दूध, मावा, पनीर की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन सवाल है कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी ब्रांडेड कंपनी की आड़ में अगर निम्न दर्जे का लोगों को मिले तो ऐसे में आम जनता इन मुनाफाखोरों के जंजाल से कैसे बचे? जब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेकर ही शक पैदा हो या सवाल खड़े हों तो नॉन ब्रैंड्स का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं.

कंपनियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

इस मामले में हमें अब तक फ्रेंचाइजी कंपनी के मालिक अतुल मिश्रा और रागिनी मिश्रा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. सूत्रों का दावा है कि इस मामले में दोनों कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती है. जबकि एफडीए, इक्र और ऋरअक जैसी एजेंसियां आनेवाले वक्त में ऐसी और भी कार्रवाई को अंजाम दे सकती हैं.

त्योहार कैसे मनाएं? महंगाई डायन खाए जात है!

मुंबई : त्योहारी सीजन में अनाज की कीमतें बढ़ने से त्योहार कैसे मनाएं? ऐसा सवाल लोगों के समक्ष खड़ा हो गया है। पिछले दो दिनों में जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में जमकर उछाल आया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक गेहूं, आटा, चावल, दाल के साथ-साथ तेल, आलू और प्याज के भाव भी पांच फीसदी तक बढ़ गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार चावल का भाव ९ अक्टूबर को ३७.६५ रुपए किलो था जबकि मंगलवार को यह ३८.०६ रुपए पर पहुंच गया। गेहूं ३०.०९ से बढ़कर ३०.९७ रुपए जबकि आटा ३५ रुपए से बढ़कर ३६.२६ रुपए किलो हो गई। आलू जहां २६.३६ रुपए किलो से २८.२० रुपए हो गया, वहीं प्याज २४.३१ रुपए किलो से बढ़कर २७.२८ रुपए हो गया। टमाटर ४३.१४ से ४५.९७ रुपए किलो पहुंच गया। चना दाल ७१.२१ से ७४ रुपए, जबकि अरहर ११० से ११२ रुपए और उड़द दाल १०६.५३ रुपए से १०८.७७ रुपए किलो हो गया। मूंग दाल १०१.५४ रुपए / किलो से १०३.४९ रुपए पर, तो मसूर दाल ९४.१७ से ९५.७६ रुपए जबकि चीनी का भाव ४१.९२ से ४२.६६ रुपए किलो पर पहुंच गया है।

एसटी महामंडल अधिकारी रील्स बनाने का रिस्क न उठाएं, दो कर्मचारी हो चुके हैं निलंबित

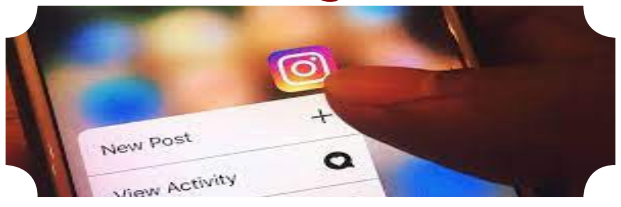

ठाणे, एसटी महामंडल की दो महिला कर्मचारियों ने रील तैयार की थी। रील तैयार करने के आरोप में उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है इसलिए सरकारी अधिकारी रील्स बनाने का रिस्क न उठाएं वही बेहतर है। बता दें कि सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो बनाने यानी रील्स बनने का क्रेज आम जनता में नजर आ रहा है।

इस मामले में सरकारी कर्मचारी भी किसी से कम नहीं हैं। हाल ही में एसटी महामंडल ने रील्स बनानेवाली दो महिला कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने इस संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए एसटी महामंडल की कार्रवाई का विरोध किया है। एसटी महामंडल के कर्मचारी महादेव म्हस्के ने बताया कि एसटी महामंडल ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जब महिला काम पर नहीं थी, तब उन्होंने रील बनाई इसलिए उनके खिलाफ की गई कार्रवाई अनुचित है।

एसटी महामंडल के ही कर्मचारी योगेश कांबले ने बताया कि यदि कर्मचारियों में कोई प्रतिभा है तो क्या उन्हें यह नहीं दिखाना चाहिए? सवाल यह है कि वे खुद को कहां व्यक्त करना चाहते हैं। इसका जवाब भी निगम को चाहिए। अंततः यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। इसके अलावा कर्मचारी विजय गायकवाड़ ने बताया कि ड्यूटी के दौरान रील बनाना, फेसबुक और व्हॉट्सऐप चेक करना सभी अनुचित हैं। इन बातों से बचकर कर्मचारियों को काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि अप्रिय कार्यों से बचा जा सके।

एसटी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्हें एसटी महामंडल के बारे में गलत जानकारी नहीं पैष्ठलानी चाहिए। निदेशक मंडल की मिशन नीति को खराब नहीं करना चाहिए।

मुंबई में रह रहे थे 8 बांग्लादेशी, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

मुंबई : भारत में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के लगभग हर राज्य में आए दिन फर्जी रूप से भारत का नागरिक बनकर रहने वाले घुसपैठियों को पुलिस अपनी कार्रवाई में पकड़ती रहती है। अब ताजा मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आया है। जहां फर्जी रूप से पिछले 4 सालों से मुंबई में रहने वाले 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा था। अब मुंबई की एक कोर्ट ने इन बांग्लादेशियों को सजा सुनाई है। खबर के मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक साल 2018 से मुंबई में डेरा जमाए हुए थे। एंटी टेर्ररिज्म स्कवेड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आठ बांग्लादेशी साल 2018 से मुंबई के सबरबन कांदिवली में रह रहे थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ा था। एंटी टेर्ररिज्म स्कवेड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि इनमें से कई नागरिकों का वीजा था लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी यह लोग मुंबई में रह रहे थे। वहीं इनमें से कुछ बांग्लादेशियों पर फर्जी रूप से दस्तावेज बनाने के तहत भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। एंटी टेर्ररिज्म स्कवेड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए बांग्लादेशियों को एडिशनल सेशन जज कोर्ट ने फर्जी रूप से भारत में रहने का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपियों को 4 साल कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। आरोपियों के नाम करीम शेख, अपन शेख, सोहेल शेख, मासूम शेख, सुजन शेख, शरिफुल शेख, तुहैल रहमान शेख और रिदोई राजो शेख हैं। एंटी टेर्ररिज्म स्कवेड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई में अपने अभियान को और तेज कर दिया है। मालूम हो कि मुंबई और पश्चिम बंगाल समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ऐसे में यहां आए दिन फर्जी रूप से भारत में रहने वाले कई बांग्लादेशियों को पुलिस अपनी कार्रवाई में पकड़ती रहती है। इससे पहले भी कई बांग्लादेश नागरिक अलग अलग कार्रवाई में पकड़े गए हैं।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2022

जनवरी से अगस्त 2022 तक 1875 किसानों ने दी जान

अमरावती क्षेत्र में सबसे ज्यादा 725 किसानों ने की आत्महत्या

मुंबई. सरकार और प्रशासन के तमाम दावों और वादों के बावजूद महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या के मामले थम नहीं रहे हैं. आंकड़े खुद इस भयावह परिस्थिति की तस्वीर पेश कर रहे हैं. महाराष्ट्र सहायता एवं पुनर्वास विभाग द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2022 के बीच प्रदेश में 1,875 किसान सुसाइड कर चुके थे. यानी हर महीने 234 से ज्यादा किसानों ने जान दी. यदि इन आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में हर दिन तकरीबन 8 किसानों ने इस अवधि में जान दी. किसान आत्महत्या के मामले में अमरावती क्षेत्र लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि दूसरे स्थान पर औरंगाबाद रीजन है.

अमरावती क्षेत्र में जनवरी से अगस्त के बीच 725 किसानों ने आत्महत्या की. वहीं, औरंगाबाद क्षेत्र में 661 किसानों ने जान दी. इस तरह सिर्फ इन दोनों क्षेत्रों में ही 1,386 किसानों ने सुसाइड किया. आठ महीने की अवधि में आत्महत्या करने वाले तकरीबन 75 फीसद किसान इन दो रीजन से ही थे. ऐसे में अमरावती और औरंगाबाद क्षेत्र में किसानों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है. वर्ष 2021 में भी कमोबेश यही हालात थे. अमरावती और औरंगाबाद के बाद क्रमशः नाशिक और नागपुर का स्थान आता है. इन दोनों क्षेत्रों में 252 और 225 किसानों ने जान दी.

पुणे में साल 2021 में जहां 11 किसानों ने जान दी थी, वहीं, इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक की अवधि में 12 किसानों ने सुसाइड किया. महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ऐसा एक भी मामला रिकॉर्ड नहीं किया गया. एकनाथ शिंदे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद महाराष्ट्र को किसान आत्महत्या मुक्त प्रदेश बनाने की शपथ ली है. इसके लिए उन्होंने महत्वाकांक्षी योजना भी बनाई है. प्रदेश के कृषि विभग ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी एक दिन किसान के घर या उनके खेत में गुजारेंगे.

बीएमसी को ऋतुजा का त्यागपत्र स्वीकार करने का निर्देश

बांबे हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

मुंबई, महाराष्ट्र में बांबे हाई कोर्ट ने बीएमसी से शिवसेना उद्धव गुट से उपचुनाव की प्रत्याशी बनने जा रहीं ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। ऋतुजा मुंबई महानगरपालिका की कर्मचारी हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई के अंधेरी (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उन्हें अपना प्रत्याशी बनाना चाहते हैं।

मुंबई के अंधेरी (पूर्व) विधानसभा सीट ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके के असामयिक निधन से ही खाली हुई थी। अब इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए ऋतुजा को 14 अक्टूबर तक नामांकन करना है। उन्होंने तीन अक्तूबर को ही अपना त्यागपत्र बीएमसी को सौंप दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बुधवार को वह बीएमसी आयुक्त से भी मिलकर आईं थीं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर बीएमसी को उनका त्यागपत्र स्वीकार करने का निर्देश देने की अपील की थी। वीरवार को उच्च न्यायालय ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए बीएमसी को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे (उद्धव गुट) ने ऋतुजा का नामांकन भरवाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसका कहना है कि ऋतुजा के पक्ष में आया मुंबई उच्च न्यायालय का निर्णय उनकी पहली जीत है। उद्धव गुट ने यह आरोप भी लगाया है कि बीएमसी आयुक्त राज्य सरकार के दबाव में ऋतुजा का त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि आयुक्त इकबाल सिंह चहल का कहना है कि त्यागपत्र पर विचार करने के लिए नियमानुसार उनके पास 30 दिन का समय होता है। ऋतुजा ने अपना त्यागपत्र तीन अक्तूबर को दिया था। अभी उनके त्यागपत्र पर विचार किया जा रहा है। चहल ने खुद पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव से भी इनकार किया है। जबकि शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि ऋतुजा ने अपने त्यागपत्र के साथ ही अपना एक माह का वेतन भी बीएमसी को सौंप दिया है।

जब चलती बस में अचानक लगी आग, यात्रियों में मचा कोहराम

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया, जब एक चलती बस में अचानक आग लग गई और यात्रियों की जान आफत में आ गई. आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित निकल आए. दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे जिला में बुधवार को एक बस में आग लग गई लेकिन बस में सवार 27 यात्री घटना में बाल-बाल बच गए. पुलिस ने यह

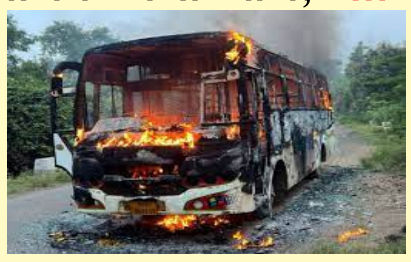

जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घटना अंबेगांव तहसील में भीमाशंकर मार्ग पर सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई. प्राइवेट बस में मुंबई के निकट के भिवंडी स्थित एक गांव से 27 यात्री सवार हुए थे और बस पुणे जिला में भीमाशंकर के लिए जा रही थी जो एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है. घोड़ेगांव थाना के सहायक निरीक्षक जीवन माने ने कहा, 'बस जब भीमाशंकर घोड़ेगांव मार्ग पर शिंदेवाड़ी पहुंची तब एक अन्य वाहन के चालक ने बस ड्राइवर को बताया कि वाहन से धुंआ उठ रहा है.' उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी और सभी यात्री बस से नीचे उतर गए.

तीन हजार की रिश्वत ले रहा था राजस्व अधिकारी, एसीबी को देखते ही बाइक उठाई और हो गया फरार

ठाणे, एक गांव में रिश्वतखोर राजस्व अधिकारी, एसीबी अधिकारी को देखते ही बाइक से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि राजस्व अधिकारी ने जमीन मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत की मांग की थी जिसकी शिकायत एसीबी के पास पहुंची थी। जिसके बाद से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दबिश डालनी शुरू कर दी थी।

अधिकारियों के अनुसार घटना बुधवार को जिले के शाहपुर तालुका के खुटघर शाहपुर गांव की है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से एक हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर भूमि के हस्तांतरण के लिए 13,000 रुपये की मांग की थी। बातचीत के बाद, राशि को 5,000 रुपये पर अंतिम रूप दिया गया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 3,000 रुपये स्वीकार भी किए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस मुद्दे को उठाने के लिए एसीबी की ठाणे इकाई से संपर्क किया। इसके बाद राजस्व अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।

फिर शिकायतकर्ता और पांच गवाह के साथ एसीबी की टीम आरोपी राजस्व अधिकारी के दफ्तर पहुंची। वहां शिकायतकर्ता को राजस्व अधिकारी को तीन हजार रुपये देने के लिए कहा गया लेकिन इसकी भनक राजस्व अधिकारी को लग गई थी और वह सभी को धक्का देकर फरार हो गया। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के

तहत मामला दर्ज किया है और बाद में शाहपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

वहीं एक अन्य मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने एक लड़की को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में नवी मुंबई के तलोजा में एक व्यक्ति और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपी इस बात से भी नाखुश थे कि बच्ची का रंग सांवला है। फरवरी 2019 में मुख्य आरोपी से शादी करने वाली 29 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर तलोजा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

दंपति अपने ससुराल वालों के साथ कामोठे इलाके में रहता था। नवंबर 2019 में, पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे ताना मारना और परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक लड़का चाहते हैं, लेकिन उसने एक लड़की को जन्म दिया, जो कि काले रंग की है। वे उसे मानसिक रूप और शारीरिक रूप से से परेशान करते रहे। उन्होंने कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की भी मांग की और जब उसने असमर्थता जताई तो उसे नवजात के साथ घर से निकाल दिया गया। उसके बाद, वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी।

शिकायत में कहा गया है कि उसके ससुराल वाले भी चाहते थे कि उसका पति दूसरी महिला से शादी करे और उसने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। दहेज प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप में उस व्यक्ति के भाई और बहन सहित आठ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया, 'एक यात्री ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन किया. आग बुझाने के प्रयास किए गए लेकिन वाहन आग में जलकर नष्ट हो गया. आग में यात्रियों का सामान भी नष्ट हो गया.' उन्होंने कहा, हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी.

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com